<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।</u>

<u>परिवाद सं0–787/2024</u>

अजरूद्दीन उर्फ गुड्डू बनाम शमीम आदि

<u>दिनांकः– 17.12.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 23–04–2024 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 38039/21

अभिषेक तोमर बनाम लोकेन्द्र आदि

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 27–09–2021 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने के उपरान्त धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षियों को पेश नहीं किया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 2361/2019

अंकुर वर्मा बनाम रिंकी देवी आदि

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद तलवी बहस हेतु नियत है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 27–02–2020 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने के उपरान्त धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी ने धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षियों पी0डब्लू0–1 व 2 को पेश कराया गया है। अतः परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0– 251/2021

राशिद बनाम इस्लाम अहमद आदि

धारा 504.506,452 भा0दं0सं0

थाना– बारादरी

जिला–बरेली

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुयी। परिवादी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त परिवाद में अभियुक्तगण को तलव किया जा चुका है। किन्तु परिवादी विगत काफी समय से उपस्थित नहीं आ रहा है। परिवादी को पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी द्वारा उक्त परिवाद में पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की अब वाद चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है तथा परिवादी द्वारा धारा–204(4)दं.प्र.सं. में किसी प्रकार की पैरवी नहीं की जा रही है।

उपरोक्त सम्पूर्ण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवाद अन्तर्गत धारा–204(4)दं.प्र.सं. में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद उपरोक्त विवेचना के आलोक में अन्तर्गत धारा–204(4)दं.प्र.सं. में पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। तत्पश्चात् पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1, बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 2056/2019

मखमूर हुसैन बनाम शहजादे

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद तलवी बहस हेतु नियत है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 15–11–2019 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने के उपरान्त धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षियों को पेश नहीं करने का पृष्ठांकन आदेश पत्रक के हॉशिए पर किया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 2158/2019

मनोज कुमार गौड बनाम हेमन्त कुमार आदि

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 29–11–2019 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने के उपरान्त धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षियों को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 06/2021

सौरभ कुमार वर्मा बनाम मंजूश्री विश्वकर्मा आदि

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 15–03–2021 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने के उपरान्त धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षियों को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 1422/2024

मोहम्मद शाहिद बनाम आसमां आदि

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 22–09–2024 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 1469/2023

संजय अग्रवाल बनाम शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–401/2024

शबीना बनाम सैययद मखदूम अली आदि

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार वर्ष 2021 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.00 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–675/2024

श्रीमती गुलिस्ता बनाम शाहिद

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार दिनांक 05–03–2024 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.40 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–3496/2023

श्रीमती पूजा बनाम विनोद प्रजापति आदि

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी के बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया है। परिवादिनी लगातार दिनांक 18–04–2024 से गैरहाजिर चल रही है। धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–749/2024

श्रीमती शालिनी शर्मा बनाम मनमोहन शर्मा आदि

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार वर्ष 2021 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.40 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–568/2024

श्रीमती मीतू वर्मा बनाम शिवम वर्मा आदि

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार वर्ष 2023 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.40 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–588/2024

श्रीमती प्रियंका अग्रवाल बनाम आशीष अग्रवाल आदि

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार वर्ष 2021 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.30 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–586/2024

संगीता रानी बनाम जयलाल भारती

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार वर्ष 2021 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.30 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–538/2024

श्रीमती रजनी बनाम महेश उर्फ भोलू आदि

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार दिनांक 13–05–2024 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.00 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1748/2019

मोहम्मद अखलाख खान बनाम अनीस खॉ आदि

दिनांकः– 16.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से बहस तलवी हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया है। परिवादी लगातार वर्ष 2023 से गैरहाजिर चल रहा है। धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्ष्य में पी0डब्लू0–1 व 2 को पेश किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–486/2020
पूर्णिमा सक्सेना बनाम रमेश आदि

दिनांकः– 16.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी के बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया है। परिवादिनी लगातार 06–09–2022 से गैरहाजिर चल रही है। धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4403176/2019

इरफान बनाम अनीस आदि

दिनांकः– 16.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी के शेष बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया है। परिवादी लगातार वर्ष 2022 से गैरहाजिर चल रहा है। धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्ष्य में पी0डब्लू0–1 को पेश किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1665/2022
धर्मेंद्र बनाम उदित कुमार आदि

दिनांकः– 16.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी के बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया है। परिवादी लगातार वर्ष 2023 से गैरहाजिर चल रहा है। धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–951/2020
शबाव अली बनाम मोहसिन आदि

दिनांकः– 16.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व 2 को परीक्षित कराया गया है। परिवादी लगातार वर्ष 2021 से गैरहाजिर चल रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–362/2024

श्रीमती मंजू शर्मा उर्फ गुडिया बनाम राजीव शर्मा आदि

दिनांकः– 16.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार वर्ष 2023 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.30 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

.....**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।**

परिवाद सं0–41/2024

नूरफात्मा उर्फ डौली बनाम मोहम्मद उमर आदि

दिनांकः– 16.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी के बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया है। परिवादिनी लगातार दिनांक 31–05–2024 से गैरहाजिर चल रही है। धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–581/2024

साजमा बनाम मोहम्मद वसीम आदि

दिनांकः– 16.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार 24–08–2024 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.00 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–173/2024
श्रीमती पूजा देवी बनाम प्रेमचंद

दिनांकः– 16.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी के शेष बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–1 को परीक्षित कराया गया है। परिवादिनी लगातार दिनांक 30–04–2024 से गैरहाजिर चल रही है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 1381/2021

अजीम खॉ बनाम शायमा आदि

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 20221 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–151/2022

दीपक कुमार बनाम प्रकाश लाल

दिनांकः– 16.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी के बयानन धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादी लगातार दिनांक 22–04–2022 से गैरहाजिर चल रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–522/2022

श्रीमती हिमांगिनी सक्सेना बनाम रजत गुप्ता

दिनांकः– 16.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार 12–05–2023 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.30 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–550/2024

श्रीमती सरिता बनाम योगेश कुमार

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार वर्ष 2022 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.30 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–560/2024

श्रीमती फरहीन बनाम मोहम्मद शानू एवं अन्य

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार वर्ष 2023 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.30 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 398/2022

सुशील जोशी बनाम रामऔतार आदि

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–23107/2024

रामदेई बनाम राधेश्याम आदि

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादिनी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–516/2023

काजल मौर्य बनाम विक्की राजपूत

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादिनी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं04402664/2024

पंकज बनाम विलाल आदि

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2021 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–917/2024

राकेश पुरी बनाम सूर्यपाल वन आदि

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 26–07–2024 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–3775/2023

श्रीमती रूकमणी बनाम बालकिशन उर्फ बाबू

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादिनी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2943/2022

अमित कुमार सक्सेना बनाम राजेन्द्र कुमार सक्सेना आदि

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–120/2023

शानू बनाम फहीम आदि

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–8599/2023

साजिद खान बनाम अब्दुल कादिर उर्फ मुन्ना आदि

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–15160/2022

नाजमा बेगम बनाम शहजाद

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादिनी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–13669/2023

सौरभ मिश्रा बनाम सरिता देवी

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4711/2021

सूरज भारती बनाम पूजा कुमार

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी के बयानन धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादी लगातार दिनांक 04–11–2023 से गैरहाजिर चल रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–3515/2020

जकिया सुल्ताना बनाम अदीवा उर्फ चांदनी आदि

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी के बयानन धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादी लगातार दिनांक 04–01–2024 से गैरहाजिर चल रही है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2623/2021
बृजेश कुमार बनाम रमेश शर्मा

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादी लगातार वर्ष 2022 से गैरहाजिर चल रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–670/2024

दीपमाला बनाम धारासिंह

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार वर्ष 2022 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.00 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–6170/2024

समदीन बनाम मोहम्मद रूखसार आदि

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 26–04–2024 से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादिनी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–424/2022

सावित्री देवी बनाम देवेन्द्र एवं अन्य

दिनांकः– 12.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार वर्ष 2022 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.00 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1634/2024

श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम पूरन लाल आदि

दिनांकः– 11.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 03–01–2024 से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादिनी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1634/2024

अमित ट्रेडर्स बनाम एच0डी0एफ0सी0 आदि

दिनांकः– 11.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 29–01–2024 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0– 3349/2020

मोहम्मद अनीस बनाम एजाज अहमद उर्फ पप्पू आदि

धारा 323.504.506,452 भा0दं0सं0

थाना– बारादरी

जिला–बरेली

दिनांकः– 09.12.2024

पत्रावली पेश हुयी। परिवादी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त परिवाद में अभियुक्तगण को तलव किया जा चुका है। किन्तु परिवादी विगत काफी समय से उपस्थित नहीं आ रहा है। परिवादी को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी द्वारा उक्त परिवाद में पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की अब वाद चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है तथा परिवादी द्वारा धारा–204(4)दं.प्र.सं. में किसी प्रकार की पैरवी नहीं की जा रही है।

उपरोक्त सम्पूर्ण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवाद अन्तर्गत धारा–204(4)दं.प्र.सं. में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद उपरोक्त विवेचना के आलोक में अन्तर्गत धारा–204(4)दं.प्र.सं. में पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। तत्पश्चात् पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1, बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–248/2021

जलाल अहमद उर्फ मुन्ना बनाम अलीशा उर्फ रूबी खान आदि

दिनांकः– 09.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2021 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2049/2019
शिशुपाल बनाम बृजकिशोर यादव

दिनांकः– 09.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व 2 को परीक्षित कराया गया है। परिवादी लगातार दिनांक 29–03–2024 से गैरहाजिर चल रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1108/2019

श्रीमती कमलेश सैनी बनाम राजन सैनी एवं अन्य

दिनांकः– 07.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार वर्ष 2022 से लगातार गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.00 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–185/2022

संजू गुप्ता बनाम रामऔतार गुप्ता आदि

दिनांकः– 07.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित किया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षी नहीं प्रस्तुत किये जाने का पृष्ठांकन आदेश पत्र के हॉशिए पर दिनांक 24–01–2023 को किया गया है। परिवादी दिनांक 27–10–2023 से लगातार गैरहाजिर चल रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4569/2021

रविन्द्र कुमार बनाम महेन्द्र सिंह आदि

दिनांकः– 07.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2021 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–3006/2022

मामूर खॉ बनाम गुलाम हुसैन आदि

दिनांकः– 07.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1375/2018

इन्दल प्रसाद बनाम अहवरन आदि

दिनांकः– 06.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से सुनवाई/अन्वेषण आख्या हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षत कराया गया है तदोपरान्त पत्रावली आदेश दिनांकित 13–11–2018 से अन्वेषण आख्या में चल रही है। परिवादी लगातार दिनांक 09–02–2024 से गैरहाजिर चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को मुकदमा आगे चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–532/2024

शहनाज बनाम मोहम्मद आमिर आदि

दिनांकः– 03.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित किया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 को परीक्षित कराया गया है। परिवादी दिनांक 23–09–2024 से गैरहाजिर चल रही है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–454/2024

अमित श्रीवास्तव बनाम वर्षा श्रीवास्तव आदि

दिनांकः– 04.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 18–07–2024 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4111705/2022

हसन जमाल बनाम जुबैदा खातून आदि

दिनांकः– 30.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2084/2019

सुमित मौर्या बनाम श्रीमती सुनीता मौर्या

दिनांकः– 30.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। वादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत मुकदमा वर्ष 2019 से सुनवाई हेतु नियत है। वादिनी वर्ष 2021 से लगातार गैरहाजिर चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2023/2022

मोहम्मद परवेज बनाम मोहम्मद शब्बीर

दिनांकः– 30.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–109/2024

शबनम बनाम शाहजहॉ

दिनांकः– 30.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 29–01–2024 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2313/2023

शीतल रानी बनाम महेश आदि

दिनांकः– 30.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–129/2023

वीरेन्द्र पाल गुप्ता बनाम घनश्यामदास खण्डेलवाल आदि

दिनांकः– 29.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद में परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु अंकित की गई है। उसके उपरान्त परिवादी की साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षी को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–632/2023

रिक्की बनाम श्रीमती सिम्मी

दिनांकः– 30.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2020 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–246/2023

श्रीमती सावित्री बनाम जगदीश आदि

दिनांकः– 30.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–3804703/2021

श्रीमती सारा बावर बनाम शहजाद हुमांयू

दिनांकः– 30.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–489/2023

मोहित बनाम लक्ष्मी

दिनांकः– 30.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–16145/2023

मोहम्मद इनाम बनाम इसरार अहमद

दिनांकः– 30.11.2024

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2927/2023

शाहीन बनाम असलम

दिनांकः– 30.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–298/2023

श्रीमती माहेश्वरी देवी बनाम रामपाल आदि

दिनांकः– 30.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।</u>

<u>परिवाद सं0–2672/2023</u>

मोहम्मद हसीन बनाम श्रीमती शविस्ता आदि

<u>दिनांकः– 29.11.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–19498/2023
शंकर बनाम शशिकान्त उर्फ विक्की

दिनांकः– 29.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षीगण पी0डब्लू0–1 को परीक्षित कराया गया है। परिवादी लगातार वर्ष 2020 से गैरहाजिर चल रही है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–762/2024
वन्दना राठौर बनाम विजय राठौर

दिनांकः– 29.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षीगण पी0डब्लू0–1 को परीक्षित कराया गया है। परिवादी लगातार वर्ष 2020 से गैरहाजिर चल रही है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–5404/2018
शोभित बनाम राजेश

दिनांकः– 28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व 2 को परीक्षित कराया गया है। परिवादी लगातार 08–11–2019 से गैरहाजिर चल रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–194/2023
श्रीमती अंशू सिंह बनाम विपिन

दिनांकः– 28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित किया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व 2 को परीक्षित कराया गया है। परिवादिनी लगातार 21–11–2023 से गैरहाजिर चल रही है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2445/2021

पूजा गुप्ता बनाम सतीश गुप्ता

दिनांकः– 28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 14–06–2022 से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित होने के उपरान्त से बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु कोई साक्षी पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–66/2022

दीपाली वर्मा बनाम विनोद कुमार आदि

दिनांकः– 26.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 28–02–2022 से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित होने के उपरान्त से बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु कोई साक्षी पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–752/2022

सुनीता मिश्रा बनाम गुरचरन सिंह आदि

दिनांकः– 28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु परिवादिनी ने आज तक धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–13276/2023

श्रीमती रानी बनाम मंगलसिंह आदि

दिनांकः– 26.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 18–07–2023 से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित होने के उपरान्त से बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु कोई साक्षी पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4114/2023

मोहम्मद जाकिर बनाम इम्त्याज अहमद आदि

दिनांकः– 29.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु अभी तक अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–41 /2022

संदली सिंह उर्फ रूचि बनाम मोहित सिंह आदि

दिनांकः– 28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 03–02–2024 से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित होने के उपरान्त से बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु कोई साक्षी पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2486/2022

जितेन्द्र पाल बनाम भीम ज्योति आदि

दिनांकः– 29.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु अभी तक अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–3049/2022

रेशमा बनाम पुष्प कुमार आदि

दिनांकः– 28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित होने के उपरान्त से बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु कोई साक्षी पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4253/2021

हर्षिता बनाम सचिन शर्मा आदि

दिनांकः– 28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित होने के उपरान्त से बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु कोई साक्षी पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2542/2019
मो0 सादिक बनाम शबनूर आदि

दिनांकः– 10.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2019 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु अभी तक अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4204/2020

शशिकला बनाम ताराचंद आदि

दिनांकः– 10.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से अभियुक्त को जरिये समन तलव किया जा रहा है। परिवादी द्वारा कोई पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की अब वाद चलाने में कोई रूचि नहीं रह गयी है तथा परिवादी द्वारा धारा–204(4)दं.प्र.सं. में किसी प्रकार की पैरवी नहीं की जा रही है।

उपरोक्त सम्पूर्ण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवाद अन्तर्गत धारा–204(4)दं.प्र.सं. में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद उपरोक्त विवेचना के आलोक में अन्तर्गत धारा–204(4)दं.प्र.सं. में पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। तत्पश्चात् पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2808/2021
मो0 फैजान बनाम मलिक जुबेरिया आदि

दिनांकः– 10.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2021 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित होने के उपरान्त से बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। किन्तु कोई साक्षी पेश नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–869/2019

रीमा उर्फ इल्मा बनाम महीपाल आदि

दिनांकः– 10.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2019 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित होने के उपरान्त से अन्वेषण आख्या हेतु नियत है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–8016341/2019

भुवनेश सिंह बनाम अंकुर ठाकुर

दिनांकः– 10.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से अभियुक्त को जरिये समन तलव किया जा रहा है। परिवादी द्वारा कोई पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की अब वाद चलाने में कोई रूचि नहीं रह गयी है तथा परिवादी द्वारा धारा–204(4)दं.प्र.सं. में किसी प्रकार की पैरवी नहीं की जा रही है।

उपरोक्त सम्पूर्ण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवाद अन्तर्गत धारा–204(4)दं.प्र.सं. में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद उपरोक्त विवेचना के आलोक में अन्तर्गत धारा–204(4)दं.प्र.सं. में पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। तत्पश्चात् पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2661/2021

अंकुर कक्कड बनाम भावना माहेश्वरी

दिनांकः– 10.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2021 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1657/2020

सनोवर बनाम इकरार अहमद आदि

दिनांकः– 10.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2020 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2619/2023
मो0 शाहिद अंसारी बनाम राशिद आदि

दिनांकः– 10.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4401300/2019

जाफर अली बनाम श्रीमती हिना उर्फ मुमताज आदि

दिनांकः– 10.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2019 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2792/2021

मो0 इसरार बनाम रूखसार उर्फ बीनू आदि

दिनांकः– 10.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से शेष साक्ष्य हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा साक्षी पी0डब्लू0 1 को अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा परिवाद एवं परिवादी के अभिकथन में काफी विरोधाभास है तथा परिवादी द्वारा घटना के संबंध में परीक्षित स्वतंत्र साक्षीगण ने भी विरोधाभासी बयान दिये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को परिवाद चलाने में अब कोई अभिरूचि नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–5173/2021

मो0 फैजान अली बनाम कासिफ रजा आदि

दिनांकः– 10.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2021 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4418990/2022
सुमित सिंह बनाम संजीब सिंह आदि

दिनांकः– 10.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1782/2020

प्रमोद कुमार राठौर बनाम आरिफ नूरी आदि

दिनांकः– 09.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से अभियुक्त को जरिये समन तलव किया जा रहा है। परिवादी द्वारा कोई पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की अब वाद चलाने में कोई रूचि नहीं रह गयी है तथा परिवादी द्वारा धारा–204(4)दं.प्र.सं. में किसी प्रकार की पैरवी नहीं की जा रही है।

उपरोक्त सम्पूर्ण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवाद अन्तर्गत धारा–204(4)दं.प्र.सं. में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद सं0– 1782/2020 उपरोक्त विवेचना के आलोक में अन्तर्गत धारा–204(4)दं.प्र.सं. में पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। तत्पश्चात् पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4550/2021
श्रीमती नेहा बनाम इरफान आदि

दिनांकः– 09.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2021 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2200186/2019

श्रीमती सुमन देवी बनाम पंकज आदि

दिनांकः– 09.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से अन्वेषण आख्या हेतु नियत है। पत्रावली पर कोई अन्वेषण आख्या मौंजूद नहीं है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा साक्षीगण पी0डब्लू0 1, पी0डब्लू0 2 को अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा परिवाद एवं परिवादी के अभिकथन में काफी विरोधाभास है तथा परिवादी द्वारा घटना के संबंध में परीक्षित स्वतंत्र साक्षीगण ने भी विरोधाभासी बयान दिये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को परिवाद चलाने में अब कोई अभिरूचि नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–14394/2023
रेखा शर्मा बनाम शिवांगी सक्सेना आदि

दिनांकः– 09.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2265/2023
मोहम्मद जुनैद बनाम रिहान मियां आदि

दिनांकः– 09.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2646/2022

श्रीमती पूनम सिंह बनाम ओमप्रकाश

दिनांकः– 09.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4412159/2023

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया बनाम राकेश कुमार

दिनांकः– 09.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–10034/2022

खवरदार मौर्य बनाम रूपकिशोर गंगवार

दिनांकः– 08.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी साक्षी की परीक्षा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित किया गया है। उसके उपरान्त से परिवादी लगातार गैरहाजिर चल रहा है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2754/2023

मोहम्मद हसन बनाम रामशारा आदि

दिनांकः– 08.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–3102072/2013

राजेश्वर विश्वकर्मा बनाम ब्रान्चमैंनेजर एचडीएफसी

दिनांकः– 08.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2707/2020

ओमकार सिंह उर्फ छोटे लाल बनाम रहीस अहमद आदि

दिनांकः– 06.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2021 से परिवादी साक्षी की परीक्षा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित किया गया है। उसके उपरान्त से परिवादी लगातार गैरहाजिर चल रहा है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4015440/2021

श्रीमती गीता देवी बनाम मोनू आदि

दिनांकः– 06.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादी साक्षी की परीक्षा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित किया गया है। उसके उपरान्त से परिवादिनी लगातार गैरहाजिर चल रही है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2753/2020

भूपराम मौर्य बनाम सुरेश राठौर

दिनांकः– 24.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2020 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा दिनांक 25–06–2020 को स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत शपथपत्र प्रेषित किया गया है। उसके उपरान्त से परिवादी लगातार गैरहाजिर चल रहा है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–701/2019

प्रमोद कुमार पटेल बनाम हैदर अली

दिनांकः– 24.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2019 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1486/2019

नरेन्द्र प्रताप सिंह बनाम अंकुश अंशुमन डायरेक्टर

दिनांकः– 24.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षी को परीक्षित नहीं किये जाने का आदेशपत्रक पर पृष्ठांकन किया गया है। परिवादी लगातार वर्ष 2021 से गैरहाजिर चल रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1832/2019

यशपाल बनाम राजीव कुमार

दिनांकः– 24.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षी को परीक्षित नहीं किये जाने का आदेशपत्रक पर पृष्ठांकन किया गया है। परिवादी लगातार वर्ष 2020 से गैरहाजिर चल रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2197/2023

मै0 गणपति ट्रेडर्स बनाम शान्तनु श्रीवास्तव

दिनांकः– 24.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 30–01–2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1952/2024

सोमपाल बनाम सूरजपाल आदि

दिनांकः– 24.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 09–02–2024 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–159/2024

सलमान हुसैन बनाम मोहम्मद नसीम आदि

दिनांकः– 24.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 22–02–2024 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1072/2024

कुसुम कश्यप बनाम बृहमानन्द एवं अन्य

दिनांकः– 24.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 03–05–2024 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2291/2023

शाहिद अली बनाम मोहम्मद मोहिद आदि

दिनांकः– 24.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2023 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4428337/2022

रूकसाना बनाम रानी आदि

दिनांकः– 24.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–501/2022

पंजाब नेशनल बैंक बनाम सुधीर शर्मा

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षी को परीक्षित नहीं किये जाने का आदेशपत्रक पर पृष्ठांकन किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–132/2022

प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव बनाम धनन्जय त्रिपाठी

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षी को परीक्षित न कराकर अभिलेखों को दाखिल किया गया, का आदेशपत्रक के हाशिएँ पर पृष्ठांकन किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1014/2020

करामत उल्ला खॉ बनाम जफर अहमद

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2020 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–8046/2024

साबिर बनाम राशिद

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षी को परीक्षित नहीं किये जाने का आदेशपत्रक पर पृष्ठांकन किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–3513/2021

रोहित कुमार बनाम नत्थू लाल

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2021 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4401022/2019

नितिन कुमार वर्मा बनाम विशाल शर्मा

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2019 से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4401119/2019

मैसर्स बालाजी फूड्स बनाम अश्वनी कुमार

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4401582/2019

गुलाम वारिस बनाम कफील अहमद आदि

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–0000659/2023

वीरवाला बनाम धीरज

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–765/2021

इशिता बनाम नदीम

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–0000482/2023

जवाहर लाल बनाम भीम चौरसिया आदि

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4400569/2019

अभय कुमार अग्रवाल बनाम फईम खान

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षीगण को परीक्षित नहीं किये जाने का आदेशपत्रक पर पृष्ठांकन किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1945/2019

सोनी बनाम ओमप्रकाश आदि

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी वर्ष 2022 से अनुपस्थित चल रही है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा साक्षी पी0डब्लू0 1 को अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा परिवाद एवं परिवादिनी के अभिकथन में काफी विरोधाभास है तथा परिवादिनी द्वारा घटना के संबंध में परीक्षित स्वतंत्र साक्षीगण ने भी विरोधाभासी बयान दिये हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–330480/2019

सईद मियां उर्फ कल्लू बनाम साजिद उर्फ बब्बू आदि

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा साक्षीगण पी0डब्लू0 1 को अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा पत्रावली पर समझौतानामा प्रार्थनापत्र दिनांकित 02–05–2023 पत्रावली पर मौंजूद है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–11960/2022

श्रीमती शिवानी बनाम गिरधारी लाल

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4402614/2019

अनीता कुमारी बनाम विश्वेश्वर प्रताप सिंह आदि

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा साक्षीगण पी0डब्लू0 1, पी0डब्लू0 2 एवंपी0डब्लू0–3 को अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा परिवाद एवं परिवादिनी के अभिकथन में काफी विरोधाभास है तथा परिवादिनी द्वारा घटना के संबंध में परीक्षित स्वतंत्र साक्षीगण ने भी विरोधाभासी बयान दिये हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–0000314/2023

इश्त्याक बनाम शफीक शाह

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा साक्षी पी0डब्लू0 1 को अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा परिवाद एवं परिवादी के अभिकथन में काफी विरोधाभास है तथा परिवादी द्वारा घटना के संबंध में परीक्षित स्वतंत्र साक्षीगण ने भी विरोधाभासी बयान दिये हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–0000234/2023

कायनात बनाम जाहिद अंसारी उर्फ मुन्ना आदि

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा साक्षीगण पी0डब्लू0 1, पी0डब्लू0 2 एवंपी0डब्लू0–3 को अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा परिवाद एवं परिवादिनी के अभिकथन में काफी विरोधाभास है तथा परिवादिनी द्वारा घटना के संबंध में परीक्षित स्वतंत्र साक्षीगण ने भी विरोधाभासी बयान दिये हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

प्रकीर्ण वाद सं0–1481/2024

सरफराज आलम बनाम फाईक अब्बास आदि

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0

थाना–बारादरी, बरेली।

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर प्रार्थी अनुपस्थित है। प्रार्थी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। प्रार्थी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थनापत्र पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विगत कई नियत तिथियों से सुनवाई हेतु लम्बित चल रहा है। थाने की आख्या पत्रावली पर मौंजूद है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने एवं अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

प्रकीर्ण वाद सं0–2503/2024

सूरज पाल बनाम ज्योति आदि

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175(3) वी0एन0एस0एस0

थाना–बारादरी, बरेली।

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर प्रार्थी अनुपस्थित है। प्रार्थी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। प्रार्थी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थनापत्र पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विगत कई नियत तिथियों से सुनवाई हेतु लम्बित चल रहा है। थाने की आख्या पत्रावली पर मौंजूद है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने एवं अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–3373/2024

नावेद अनवर बनाम परवेज आलम आदि

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–3801048/2018

धर्मवीर बनाम मोरसिंह आदि

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा साक्षीगण पी0डब्लू0 1, पी0डब्लू0 2 को अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा परिवाद एवं परिवादी के अभिकथन में काफी विरोधाभास है तथा परिवादी द्वारा घटना के संबंध में परीक्षित स्वतंत्र साक्षीगण ने भी विरोधाभासी बयान दिये हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2140/2021

शहनवाज अली बनाम रिजवान

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4400863/2019

श्रीमती शर्मीला बनाम बबलू उर्फ जितेन्द्र आदि

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। परिवादिनी ने स्वयं को धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया था। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादिनी के स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक किसी स्वतंत्र साक्षी को अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। इसके अलावा परिवाद एवं परिवादिनी के अभिकथन में काफी विरोधाभास है तथा परिवादिनी द्वारा घटना के संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अत : ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

प्रकीर्ण वाद सं0–684/2023

कु0 माहिन बनाम शबनम पारा आदि

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0

थाना–बारादरी, बरेली।

दिनांकः– 18.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर प्रार्थिनी अनुपस्थित है। प्रार्थिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। प्रार्थिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थनापत्र पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विगत कई नियत तिथियों से सुनवाई हेतु लम्बित चल रहा है। थाने की आख्या पत्रावली पर मौंजूद नहीं है। प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने एवं अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

प्रकीर्ण वाद सं0–259/2024

सिराज मुबारक बनाम जैमी मोहम्मद मुबारक उर्फ बाबर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0

थाना–बारादरी, बरेली।

दिनांकः– 18.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर प्रार्थी अनुपस्थित है। प्रार्थी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। प्रार्थी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विगत कई नियत तिथियों से सुनवाई हेतु लम्बित चल रहा है। थाने की आख्या पत्रावली पर मौंजूद है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने एवं अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

प्रकीर्ण वाद सं0–519/2024

रहमती खातून बनाम अफसर आदि

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0

थाना–बारादरी, बरेली।

दिनांकः– 18.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर प्रार्थिनी अनुपस्थित है। प्रार्थिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। प्रार्थिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थनापत्र पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विगत कई नियत तिथियों से सुनवाई हेतु लम्बित चल रहा है। थाने की आख्या पत्रावली पर मौंजूद है। प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने एवं अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–698/2020

सगीर अहमद बनाम सलमान आदि

दिनांकः– 18.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1730/2019

विप्रा शर्मा बनाम मोहित भारद्वाज

दिनांकः– 18.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2531/2023

श्रीमती रामेश्वरी बनाम वीरेन्द्र

दिनांकः– 18.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–389/2020

राजकुमार बनाम राजू आदि

दिनांकः– 18.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–11555/2022

मोहम्मद इमरान बनाम रईसबानो

दिनांकः– 18.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4565/2021

सौरभ सक्सेना बनाम दीपक पटेल

दिनांकः– 12.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। प्रकरण धारा 138 एन0आई0एक्ट से संबंधित है। प्रकरण में अभियुक्त को आदेश दिनांकित 24–04–2023 के द्वारा जरिये सम्मन तलव किया गया है। परिवादी द्वारा अभियुक्त की तलवी के संबंध में पत्रावली में कोई पैरवी नहीं की गयी है। आज परिवादी न तो स्वयं उपस्थित है और न ही उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी ही दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.00 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद परिवादी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद परिवादी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–678/2024

सरोज पाल बनाम इन्द्रराज पाल एवं अन्य

दिनांकः– 12.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार शुरू से ही गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 4.00 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1057/2011

मिथुन कुमार प्रेमी बनाम जसवीर सिंह

दिनांकः– 12.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है अन्य कोई साक्ष्य न देने का पृष्ठांकन आदेश पत्रक के हॉशिए पर किया गया है। इसके अलावा परिवाद एवं परिवादी के अभिकथन में काफी विरोधाभास है। परिवादी की उपस्थिति हेतु अंतिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है किन्तु परिवादी तलवी बहस हेतु उपस्थित नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–474/2024

श्रीमती अंजुम बानो एवं अन्य बनाम मो0 शानू एवं अन्य

दिनांकः– 12.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित है। प्रकरण में पक्षकार शुरू से ही गैरहाजिर हैं। पक्षकारों की ओर से कोई हाजिरी माफी भी नहीं दिया गया है। उभयपक्ष को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से मुकदमें पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत वाद विगत कई नियत तिथियों से अंतिम अवसर में नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मुकदमा चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। समय 3.50 पी0एम0 हो चुका है। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

प्रकीर्ण परिवाद सं0–1481/2019

बृहमप्रकाश बनाम भारतीय प्रजापति आदि

दिनांकः– 11.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

प्रकीर्ण वाद सं0–4440936/2021

श्रीमती शाहीन अख्तर बनाम अजीम खां आदि

दिनांकः– 11.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादिनी के स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक किसी स्वतंत्र साक्षी को अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। इसके अलावा परिवाद एवं परिवादिनी के अभिकथन में काफी विरोधाभास है तथा परिवादिनी द्वारा घटना के संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

प्रकीर्ण वाद सं0–2200412/2016

यासमीन **बनाम** **जिहानत हुसैन उर्फ अजमेरी**

अन्तर्गत धारा–3 मुस्लिम बूमेन प्रोटेक्शन राइट एक्ट
थाना–बारादरी जिला बरेली।

दिनांकः– 11.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। वाद विपक्षी के लिखित कथन हेतु लम्बित है। परिवादिनी द्वारा कोई पैरवी भी नहीं की जा रही है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से निस्तारण हेतु नियत है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को अपने वाद को चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। अतः परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

प्रकीर्ण परिवाद सं0–6586/2019

आविद बनाम बाबू आदि

दिनांकः– 11.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–521/2024

श्रीमती संगीता सिंह बनाम नीरज सिंह

दिनांकः– 11.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

6 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–838/2020

विनोद कुमार वर्मा बनाम मुकेश पाल सिंह

दिनांकः– 11.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–54/2024

राजेश बनाम संदीप आदि

दिनांकः– 11.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–2807/2021

विलालउद्दीन बनाम मुम्त्याज

दिनांकः– 11.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–4261/2021

श्रीमती कमला देवी बनाम पोथीराम

दिनांकः– 11.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–7580/2020

डा0 एजाज अहमद बनाम साजिद रजा खां आदि

दिनांकः– 11.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–14426/2023

जाकिर हुसैन बनाम वसीम अहमद आदि

दिनांकः– 11.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–0000190/2023

सोफिया नाज बनाम युनुस आदि

दिनांकः– 11.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–14424/2023

श्रीमती शीला राजानी बनाम धर्मेश कुमार आदि

दिनांकः– 10.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–14184/2024

श्रीमती प्रियंका शर्मा **बनाम** **कृष्णपाल शर्मा**

दिनांकः– 10.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–14185/2024

हरिओम अग्रवाल बनाम प्रवीन अग्रवाल

दिनांकः– 10.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–14466/2023

सुमन उर्फ सन्ध्या बनाम गनेश आदि

दिनांकः– 10.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–23487/2020

श्रीमती संतोष बनाम राजाबाबू आदि

दिनांकः– 10.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादिनी के स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक किसी स्वतंत्र साक्षी को अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। इसके अलावा परिवाद एवं परिवादिनी के अभिकथन में काफी विरोधाभास है तथा परिवादिनी द्वारा घटना के संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1775/2018

दीपक यादव **बनाम** **अंकित रस्तोगी**

दिनांकः– 10.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी द्वारा स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है तथा साक्षीगण पी0डब्लू0 1 तथा पी0डब्लू0 2 को अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा परिवाद एवं परिवादी के अभिकथन में काफी विरोधाभास है तथा परिवादी द्वारा घटना के संबंध में परीक्षित स्वतंत्र साक्षीगण ने भी विरोधाभासी बयान दिये हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1534/2023

शबाना बनाम चांदमियां

दिनांकः– 10.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादिनी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादिनी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–122/2020

प्रमोद पटेल **बनाम** **रंजीत आदि**

दिनांकः– 10.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–413/2020

ओमपाल सिंह **बनाम** **कृष्ण महाराज**

दिनांकः– 10.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद विगत कई नियत तिथियों से परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी द्वारा आज तक स्वयं को अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 2047/2018

रामनिवास शर्मा बनाम गिरीश कुमार शर्मा

थाना– बारादरी

जिला–बरेली

दिनांकः– 10.09.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि विगत काफी समय से परिवादी उपस्थित नहीं आ रहा है। परिवादी अंतिम बार पत्रावली में दिनांक 07.02.2019 को न्यायालय में उपस्थित आया था, परन्तु तब से परिवादी लगातार अनुपस्थित चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की परिवाद को चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है।

अतः प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं.प्र.सं. खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्वेता यादव)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 2398/2023

राशिद अंसारी बनाम मीना आदि

थाना– बारादरी

जिला–बरेली

दिनांकः– 09.09.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि विगत काफी समय से परिवादी उपस्थित नहीं आ रहा है। परिवादी अंतिम बार पत्रावली में दिनांक 30.05.2023 को न्यायालय में उपस्थित आया था, परन्तु तब से परिवादी लगातार अनुपस्थित चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की परिवाद को चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है।

अतः प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं.प्र.सं. खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्वेता यादव)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 2751/2023

संजीव कुमार गुप्ता बनाम राधेकिशन आदि

थाना– बारादरी

जिला–बरेली

दिनांकः– 09.09.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि विगत काफी समय से परिवादी उपस्थित नहीं आ रहा है। परिवादी अंतिम बार पत्रावली में दिनांक 17.08.2023 को न्यायालय में उपस्थित आया था, परन्तु तब से परिवादी लगातार अनुपस्थित चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की परिवाद को चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है।

अतः प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं.प्र.सं. खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्वेता यादव)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 30/2024

ललित अग्रवाल बनाम शिवशंकर आदि

थाना– बारादरी

जिला–बरेली

दिनांकः– 09.09.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि विगत काफी समय से परिवादी उपस्थित नहीं आ रही है। परिवादी अंतिम बार पत्रावली में दिनांक 04.03.2024 को न्यायालय में उपस्थित आयी थी, परन्तु तब से परिवादी लगातार अनुपस्थित चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की परिवाद को चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है।

अतः प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं.प्र.सं. खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्वेता यादव)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 842/2020

श्रीमती शमा बनाम जमालउद्दीन आदि

थाना– बारादरी

जिला–बरेली

दिनांकः– 09.09.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि विगत काफी समय से परिवादिनी उपस्थित नहीं आ रही है। परिवादिनी अंतिम बार पत्रावली में दिनांक 17.02.2021 को न्यायालय में उपस्थित आयी थी, परन्तु तब से परिवादिनी लगातार अनुपस्थित चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी की परिवाद को चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है।

अतः प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं.प्र.सं. खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्वेता यादव)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 1207/2022

मोहम्मद मुश्ताक बनाम आमीन आदि

थाना– इज्जतनगर

जिला–बरेली

दिनांकः– 09.09.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि परिवादी प्रस्तुत परिवाद में शुरू से ही लगातार अनुपस्थित चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की परिवाद को चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है।

अतः प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं.प्र.सं. खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्वेता यादव)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0 488/2021

मोहम्मद शब्बीर हुसैन बनाम मो0 परवेज आदि

थाना– बारादरी

जिला–बरेली

दिनांकः– 09.09.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि विगत काफी समय से परिवादी उपस्थित नहीं आ रहा है। परिवादी अंतिम बार पत्रावली में दिनांक 24.12.2021 को न्यायालय में उपस्थित आया था, परन्तु तब से परिवादी लगातार अनुपस्थित चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की परिवाद को चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है।

अतः प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं.प्र.सं. खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्वेता यादव)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष सं0–1,बरेली।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–1, बरेली।

परिवाद सं0–1877/2019

सुनीता भाटिया बनाम सांई इन्टर प्राईजेज

दिनांकः– 23.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादिनी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज परिवादिनी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलव किया जा चुका है। पत्रावली विगत कई नियत तिथियों से पैरवी हेतु नियत है। परिवादिनी .....द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु कोई पैरवी नहीं की जा रही है। स्वयं को घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षी को परीक्षित नहीं किये जाने का आदेशपत्रक पर पृष्ठांकन किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के निष्कर्ष में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1,बरेली।